



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 253 राँची, मंगलवार, 19 जेष्ठ, 1942 (श०)
9 जून, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना
20 अप्रैल, 2020

संख्या-1/पी0-101/2014 अंश-1 का०- 2184 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, खूँटी के पद पर पदस्थापित श्री हेमन्त सती, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें खूँटी अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2014 अंश-1 का०- 2185 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, गुमला के पद पर पदस्थापित सुश्री कीर्तिश्री जी., भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें रामगढ़ अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2014 अंश-1 का०- 2186 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री कुमार ताराचंद, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बरही (हजारीबाग) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें बरही अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2014 अंश-1 का०- 2187 -- परियोजना निदेशक, समेकित जनजातीय विकास प्राधिकार, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री नितीश कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (बोकारो) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें बेरमो अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

संख्या-1/पी0-101/2014 अंश-1 का०- 2188 -- निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुमका के पद पर पदस्थापित सुश्री प्रेरणा दीक्षित, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गिरिडीह अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

2. उक्त अनुमण्डलों में पूर्व से पदस्थापित रा0प्र0से0 के पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में अपना योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
